प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 20/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा ट्राई विनियमों की समीक्षा" पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 03 अप्रैल 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"इंटरकनेक्शन मामलों पर मौजूदा ट्राई (भादूविप्रा) विनियमों की समीक्षा"** पर एक पूर्व-परामर्श पत्र (प्री-कंसल्टेशन पेपर) जारी किया है, जिसमें कि हितधारकों (स्टेकहोल्डर) से इनपुट मांगे गए हैं।

2. इस समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्राधिकरण पूर्व-परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सभी हितधारकों को आमंत्रित करता है ताकि मौजूदा इंटरकनेक्शन विनियमों से संबंधित मुद्दों, चिंताओं और सुझावों पर विचार करते हुए इंटरकनेक्शन के लिए एक भविष्योन्मुखी और मजबूत नियामक ढांचा (फयूचरिस्टिक एंड रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क) विकसित किया जा सके।

3. हितधारकों से पूर्व-परामर्श पत्र पर 16 अप्रैल 2025 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से प्राप्त इनपुट/टिप्पणियों का विश्लेषण किया जाएगा और इस विषय पर परामर्श पत्र तैयार करने के लिए उनकी जांच की जाएगी।

4. टिप्पणियाँ, अधिमानतः (प्रीफरेबली) इलेक्ट्रॉनिक रूप में adv-nsl1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
03/04/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव